

एसईसी-1/187(2)/2026/2967

दिनांक: 11 अगस्त, 2026

सेवा में,
प्रबंधक,
लिस्टिंग विभाग,
द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
"एक्सचेंज प्लाजा", सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई, 400051

विषय: 20 जून, 2023 के सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सी/आईआर/2023/93 ("सेबी परिपत्र") और 11 जुलाई, 2025 के सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-पीओडी-1/पी/आईआर/2025/0000000103 ("सेबी परिपत्र - ऋण" और सेबी परिपत्र के साथ सम्मिलित रूप से, "सेबी परिपत्रों") के अनुसार शिकायतों पर रिपोर्ट - आवेदन संख्या: 56222

संदर्भ: प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के विनियम 37 और विनियम 59A के अंतर्गत, आरईसी लिमिटेड ("आरईसी/कंपनी/स्थानांतरणकर्ता कंपनी") और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी/स्थानांतरि कंपनी") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों तथा एलओडीआर विनियमों के तहत प्रस्तावित विलीनकरण (मर्जर) योजना के लिए आवेदन।

महोदय/ महोदया,

यह संदर्भ कंपनी द्वारा 9 जुलाई, 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के समक्ष दायर किए गए विषयगत आवेदन से है। योजना और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 14 जुलाई, 2026 को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था।

उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में और कंपनी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड व जानकारी के आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 15 जुलाई 2026 से 04 अगस्त 2026 की अवधि के दौरान योजना से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, सेबी परिपत्रों के तहत आवश्यक 'शिकायतों पर रिपोर्ट' **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

उक्त परिपत्र की आवश्यकता के अनुसार, 'शिकायत रिपोर्ट' को कंपनी की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर अपलोड किया जा रहा है: <https://recindia.com/scheme-of-merger> और <https://recindia.nic.in/scheme-of-merger>

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे अपने रिकॉर्ड में लें

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव और
अनुपालन अधिकारी

उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

शिकायतों पर रिपोर्ट
(15 जुलाई, 2026 से 4 अगस्त, 2026 की अवधि के लिए)

भाग-क

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	सीधे प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	स्टॉक एक्सचेंज/सेबी द्वारा आगे भेजी गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	प्राप्त शिकायतों/टिप्पणियों की कुल संख्या (1+2)	शून्य
4.	समाधान की गई शिकायतों की संख्या	लागू नहीं
5.	लंबित शिकायतों की संख्या	लागू नहीं

भाग-ख

क्रम संख्या	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत की तिथि	स्थिति (समाप्त/लंबित)
लागू नहीं			
